नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 26/11/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री दीन बंधु सिंह, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 26.11.2025 को दोपहर 03:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री नोमान हाफ़िज़, उप विकास आयुक्त (वाणिज्य विभाग के नॉमिनी, 23/09/2008 के पत्र के अनुसार)।
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती अलका मिश्रा, कर प्राप्ति अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
4. श्री विवेक कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री सलिल गोपाल कंसल, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) आमिर इकबाल, सहायक विकास आयुक्त (iii) रजनीश कुमार, अधीक्षक, एनएसईज़ेड सीमा शुल्क, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और (iv) भारत भूषण, सहायक भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**

(1) दिनांक 27/10/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 27/10/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ और न ही कोई आपत्ति प्राप्त हुई है। अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 27/10/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) ज़ीकेबी ऑप्टिकल्स ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड – नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करना।

2.1 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रथमेश खंडेलवाल अनुमोदन समिति के सामने पेश हुए और उन्होंने प्रस्ताव समझाया।

2.2 अनुमोदन समिति को बताया गया कि आवेदन में कुछ कमियां पाई गई हैं जिन्हें आवेदक को ठीक करना होगा। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं दी गई है और फंड के स्रोत के बारे में भी विस्तार से बताने की ज़रूरत है।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक को आवेदन में पाई गई कमियों को ठीक करने और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ-साथ फंड के स्रोत का विस्तृत विवरण जमा करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

(3) ट्रॉय एक्सिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – NSEZ में एक इकाई स्थापित करना।

3.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ आस्थगित कर दिया कि पहले इस मामले को निर्देश संख्या 117 दिनांक 24.09.2024 के तहत गठित जोनल स्तर की समिति के सामने रखा जाए और उसके बाद इस मामले को उक्त कमेटी की सिफारिशों/टिप्पणियों के साथ फिर से अनुमोदन समिति के सामने रखा जाए।

(4) वेंचुरा इलेक्ट्रिकल हिंदुस्तान लिमिटेड – स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 इकाई के प्रतिनिधि श्री इंद्रजीत सिंह गुलाटी और श्री मयंक अनुमोदन समिति के सामने पेश हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री गुलाटी ने बताया कि, कोविड के कारण, उनके मुख्य भागीदारों में से एक का निधन हो गया था और, इसके परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल में बदलाव हुआ। इसके अलावा, मेटल हाई मास्ट लैंप से LED लैंप की ओर बाजार के रुझानों में बदलाव के कारण, उन्हें अपने व्यवसाय प्रस्ताव को संशोधित करना पड़ा। इन कारणों से, उनकी निर्यात गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और वे समय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सके।

4.2 अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई ने अपने आवेदन में जवाब देने में देरी का कोई कारण नहीं बताया था। इसके अलावा, इकाई को डायरेक्टर्स में बदलाव और कंपनी के शेयरधारक स्वरुप से जुड़ी जानकारी भी जमा करनी होगी। अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि इकाई द्वारा जमा किए गए 22.09.2025 के निर्यात ऑर्डर में वितरण अवधि 5-6 हफ़्ते का था। श्री मयंक ने बताया कि ऑर्डर की वैधता बढ़ा दी गई है और वे संशोधित ऑर्डर जमा कर देंगे।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ आस्थगित कर दिया कि इकाई आवेदन जमा करने में देरी का कारण, उत्पादों का सही ITC(HS) कोड के साथ रिवाइज्ड फॉर्म-F1, कंपनी के निदेशक और शेयरधारक स्वरुप में बदलाव का विवरण और संशोधित निर्यात आर्डर जमा करे।

(5) इंडिया एक्सपोर्ट्स – स्वदेशी इनपुट सेवाओं के अनुमानों को शामिल करना और परफॉर्मेंस की निगरानी।

5.1 अनुमोदन समिति ने जमा किए गए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के आधार पर परफॉर्मेंस की निगरानी की और पांच साल के चौथे ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा

(NFE) कमाई हासिल करने पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि प्राप्ति के लिए कोई भी निर्यात आय लंबित नहीं दिखाए गए हैं।

5.2 अनुमोदन समिति ने स्वदेशी इनपुट सेवाओं के अनुमानों को शामिल करने के प्रस्ताव को आगे के लिए टाल दिया और NSEZ सीमा शुल्क को यह पुष्टि करने का निर्देश दिया कि क्या प्रस्तावित इनपुट सेवाओं का पहले इकाई द्वारा उपयोग किया गया है।

(6) कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड – कंपनी के निदेशक में बदलाव।

6.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इंस्ट्रक्शन नंबर 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार कंपनी के निदेशको में बदलाव को रिकॉर्ड पर ले लिया।

(7) पॉपुलर कार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड – कंपनी के निदेशकों और शेयरधारक में बदलाव।

7.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश नंबर 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार कंपनी के निदेशको और शेयरधारक स्वरुप में बदलाव रिकॉर्ड पर ले लिया।

(8) महर्षि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड – स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत ऑपरेशंस को शामिल करना।

8.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन अर्थात "(i) पीली दाल मल्टी-मिलेट खिचड़ी (19042090); (ii) हरी सब्ज़ियों वाली मल्टी-मिलेट खिचड़ी (10081090); (iii) गोल्डन लेंटिल सूप (21041010); (iv) नारियल सब्ज़ी सूप (21041090) की ट्रेडिंग" के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

(9) इंडो एयरोस्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड – व्यापार सामान की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति देने और अधिकृत संचालन में ITC HS कोड को शामिल करने का अनुरोध।

9.1 यह बताया गया कि इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) को हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(6A)(3) के अनुसार पांच साल के चौथे ब्लॉक के लिए यानी 09/12/2030 तक नवीनीकृत किया गया है। हालांकि, टाइपिंग की गलती के कारण, स्वीकृत ITC(HS) कोड 81 को 10.11.2025 के LOA नवीकरण पत्र में गलती से उल्लेख नहीं किया गया था। यह भी बताया गया कि इकाई ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों और विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट में बताए गए SEZ नियमों और विनियमों के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है।

9.2 अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई को पहले से ही इस शर्त के अधीन व्यापार की अनुमति है कि "विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 53 A के बाहर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति नहीं होगी"। इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों के अनुसार, ट्रेडिंग का मतलब पुनः-निर्यात के उद्देश्य से आयात करना है।

9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, ITC (HS) कोड 81 को शामिल करने को मंजूरी देने का फैसला किया, क्योंकि यह उक्त पत्र में गलती से छुट गया था। हालांकि, अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 53A के बाहर व्यापार सामान की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति देने के इकाई के अनुरोध से सहमति नहीं जताई।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(नोमान हाफ़िज़)
उप विकास आयुक्त

(दीन बंधु सिंह)
विकास आयुक्त